बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग
—:: आदेश ::—

श्री ओम प्रकाश, तत्कालीन उप निदेशक, प्रशिक्षण सम्प्रति सेवानिवृत के विरूद्ध वर्ष 1989–92 में निदेशालय, नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण) के नियंत्रणाधीन मुख्यालय एवं क्षेत्रीय स्थापना में वर्ग 3 एवं 4 में कुल 206 नियुक्तियों में अनियमितता के मामले में विभागीय संकल्प ज्ञापांक–3690 दिनांक–27.10.1999 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई एवं आरोप प्रमाणित पाये जाने के कारण सक्षम प्राधिकार (माननीय मुख्यमंत्री) के आदेश से विभागीय संकल्प ज्ञापांक–293 दिनांक–27.09.2003 द्वारा उनके पेंशन से 25 प्रतिशत कटौती का दण्ड अधिरोपित किया गया।

2. उक्त आदेश को श्री ओम प्रकाश द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका CWJC No.-11235/2003 के माध्यम से चुनौती दी गई। माननीय न्यायालय ने दिनांक–06.11.2017 को पारित न्यायादेश में श्री ओम प्रकाश, सेवा निवृत्त संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण के विरूद्ध विभागीय संकल्प ज्ञापांक–293 दिनांक–27.09.2003 द्वारा अधिरोपित शास्ति को निरस्त करते हुये अनुशासनिक प्राधिकार के मामले पर नये सिरे से विचार करने का आदेश दिया गया है। माननीय न्यायालय ने यह भी उल्लेख किया है कि कथित तौर पर अवैध रूप से नियुक्त व्यक्तियों के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही चलाने हेतु निर्गत कारण पृच्छा को उच्च न्यायालय, पटना में रिट याचिका CWJC No.-9760/1999 में चुनौती दी गई थी एवं न्यायालय ने आदेश दिनांक–17.12.2004 द्वारा उक्त कारण पृच्छा को रद्द कर दिया है तथा राज्य को नये सिरे से विभागीय कार्यवाही चलाने से रोक दिया है। इस आदेश को LPA में चुनौती दी गई जो असफल रही, SLP भी विलम्ब तथा मेरिट के आधार पर निरस्त है। अतएव इस मामले पर आदेश पारित करते समय अनुशासनिक प्राधिकार इन तथ्यों को ध्यान में रखेगा।

3. माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक–06.11.2017 पर विद्वान महाधिवक्ता का परामर्श प्राप्त किया गया है। विद्वान महाधिवक्ता ने LPA No.- 576/2005 तथा SLP No.-3620/2008 में पारित आदेश के संदर्भ में यह उल्लेख किया है कि 'It is relivent to point out here in these contexts that the Hon' ble Court has not held the conduct and acts of the aforesaid Om Prakash to be legal and valid and justified' तथा यह परामर्श दिया है कि :–

'Considering all aspect of the matter, I am of the considered opinion that in light of order date 06.11.2017 passed in CWJC No.-11235 of 2003, the State Government may consider the defense and objection raised by Shri Om Prakash afresh providing ample opportunity of due hearing and following the norms of principal of natural justice and take appropriate decision in accordance with law. In the meantime, Shri Om Prakash may be allowed the provisional pension as per Rule 43C of the Bihar Pension Rules.'

4. बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम 43 C यह प्रावधान करता है कि औपबंधिक पेंशन की राशि अनुमान्य पेंशन की राशि से कम होगी पर किसी भी स्थिति में 90 प्रतिशत से कम नहीं होगी। श्री ओम प्रकाश दिनांक–30.09.2001 को सेवा निवृत हुये हैं एवं उक्त तिथि को नियम 43 C प्रवृत नहीं था।

5. माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक–06.11.2017 एवं विद्वान महाधिवक्ता के परामर्श के आलोक में तत्कालीन उप निदेशक, प्रशिक्षण सम्प्रति सेवानिवृत के विरूद्ध विभागीय संकल्प ज्ञापांक–293 दिनांक–27.09.2003 द्वारा उनके पेंशन से 25 प्रतिशत कटौती के दण्ड को निरस्त किया जात है एवं बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 C के आलोक में औपबंधिक पेंशन स्वीकृत की जाती है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक–06.11.17 को पारित आदेश एवं विद्वान महाधिवक्ता के आलोक अलग से कार्रवाई की जायेगी।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस आदेश की प्रति श्री ओम प्रकाश, तत्कालीन उप निदेशक, प्रशिक्षण सम्प्रति सेवानिवृत, 79 आनंदपुरी, वेस्ट बोरिंग कैनाल रोड, पटना–01 को निबंधित डाक से उपलब्ध करायी जाए।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/–

(सूर्यकान्त मणि)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक– टि1/विधि–04/2002 श्र०सं०– पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि–प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट कोषांग वित्त विभाग, बिहार, पटना को दो प्रति के साथ बिहार राजपत्र के अगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि राजपत्र की 15 (पन्द्रह) अतिरिक्त प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध करायें।

ह०/–
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक– टि1/विधि–04/2002 श्र०सं०– पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि–महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/–
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक– टि1/विधि–04/2002 श्र०सं०– पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि–प्रभारी पदाधिकारी वित्त (वै० दा० नि० कोषांग) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/–
सरकार के उप सचिव

निबंधित/स्पीड पोस्ट

ज्ञापांक– टि1/विधि–04/2002 श्र०सं०– पटना, दिनांक

प्रतिलिपि–श्री ओम प्रकाश, तत्कालीन उप निदेशक, प्रशिक्षण सम्प्रति सेवानिवृत, 79 आनंदपुरी, वेस्ट बोरिंग कैनाल रोड, पटना–01 पटना को को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/–
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक– टि1/विधि–04/2002 श्र०सं०– 2865 पटना, दिनांक–06/12/19

प्रतिलिपि–निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण/अपर सचिव/उप सचिव/अवर सचिव/प्रभारी गोपनीय चारित्री/लोक सूचना पदाधिकारी/आई०टी० मैनेजर/प्रशाखा पदाधिकारी (प्रशाखा–01), श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

6/12/19
सरकार के उप सचिव